पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकार में

विविध अपील सं.606/2014

==========

रामा शंकर पाठक, पुत्र-श्री श्याम सुंदर पाठक निवासी गाँव-कदमकुआँ, नाला रोड, आनंद साओ की ठाकुरबाड़ी, थाना-कदमकुआँ, जिला-पटना

.... अपीलार्थी

बनाम

भारत संघ के द्वारा, महाप्रबंधक पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर।

.... प्रतिवादी

==========

वर्तमान विविध अपील रेलवे दावा न्यायाधिकरण पटना बेंच के सदस्य (तकनीकी), डॉ. बी. राय द्वारा दावा आवेदन सं॰ OA00101/2003 में 29.04.2014 को पारित निर्णय के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें अपीलकर्ता को खारिज कर दिया गया था।

अपीलकर्ताओं ने यह याचना की कि 10.03.2003 को अपीलकर्ता पटना साहिब रेलवे स्टेशन से पटना जंक्शन की ओर 555 अप मोकामा-दानापुर यात्री ट्रेन से यात्रा कर रहे थे - अपीलकर्ता ने एक वैध रेलवे टिकट खरीदी थी और पटना साहिब में ट्रेन में चढ़े थे - यात्रा के दौरान, बोगी में भारी भीड़ के कारण अपीलकर्ता चलती ट्रेन से पटना साहिब स्टेशन के बाहरी सिगन्ल के पास गिर पड़े और उन्हें गंभीर चोटें आईं, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें दोनों पैरों को खोना पड़ा - अपीलकर्ता को बाद में एन.एम.सी.एच., पटना में इलाज के लिए ले जाया गया और दुर्घटना की रिपोर्ट आलमगंज पुलिस थाना में दर्ज की गई, साथ ही सनहा नंबर 620/2003 पटना साहिब जी.आर.पी.एस, में दर्ज किया गया। अपीलकर्ता का दावा पर्याप्त दस्तावेजों, मौखिक गवाही और छह दस्तावेजों के से समर्थित था जिन्हें प्रदर्श A1 से A6 के रूप में चिह्नित किया गया। यह भी कहा गया कि प्रतिवादी ने रेलवे

न्यायधिकरण के सामने अपीलकर्ता के दावे को खारिज करने के लिए कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया और न्यायधिकरण ने तकनीकी कारणों से दावे को खारिज कर दिया।

अपीलकर्ता के वकील ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय भारत संघ बनाम रीना देवी (2019) 3 एससीसी 572 का हवाला दिया, जो साक्ष्य और परिस्थितियों पर उचित विचार की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

इसके विपरीत, प्रतिवादी/रेलवे के वकील का तर्क है कि अपीलकर्ता ने रेलवे दावा न्यायधिकरण के समक्ष अपने दावे की स्वीकार्यता को साबित करने में विफल रहे। अपीलकर्ता ने प्रथमदष्टया यह साबित करने की कोशिश नहीं किया कि उन्हें ट्रेन से गिरने के कारण ही चोटें आई। अपीलकर्ता के फर्दबयान के अलावा, ट्रेन से यात्रा करने और गिरने का दावा करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य मौजूद नहीं है, इस प्रकार यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय भारत संघ बनाम् रीना देवी द्वारा स्थापित मानदंडों को पूरा नहीं करता। विद्वान अधिवक्ता ने कामुकमी और अन्य बनाम् भारत संघ और अन्य (2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 642) का भी हवाला दिया, विशेषकर पैरा 18 और 19, जो रीना देवी में स्थापित सिद्धांतों की पुष्टि करते हैं।

निर्णय की समीक्षा करते हुए, रेलवे दावा न्यायधिकरण ने चार मुद्दों को बनाया और मुद्दा संख्या 3 को अपीलकर्ता के पक्ष में सुनाया लेकिन बाकी मुद्दों को खारिज कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप दावा आवेदन खारिज कर दी गई - मुख्य प्रश्न यह है कि "क्या अपीलकर्ता ने रेलवे दावा न्यायधिकरण के समक्ष अपने दावे की स्वीकार्यता को साबित किया है?"

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **रीना देवी** के मामले में स्थापित सिद्धांतों के अनुसार, प्रथमादृष्टया मामले को स्थापित करने की प्रारंभिक जिम्मेवारी दावेदार

पर होती है जो फिर रेलवे को साक्ष्य के आधार पर दावे को चुनौती देने की जिम्मेदारी देता है।

वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता का दावा है कि दुर्घटना 10.03.2003 को हुई, लेकिन उनके प्रति-परीक्षण से दुर्घटना की तारीख के बारे में विरोधाभास प्रकट होता है, जो कि इसे 11.03.2003 बताता है। इसके अतिरिक्त, हालांकि अपीलकर्ता ने दावा किया कि दुर्घटना के बाद जीआरपी कर्मी पहुंचे थे, लेकिन कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया और फर्दबयान सामान्य पुलिस थाना द्वारा दर्ज किया गया, न कि जी आर पी द्वारा। रेलवे विभाग से दुर्घटना या अपीलकर्ता के गिरने के स्थान के बारे में कोई दस्तावेजी जानकारी या विवरण भी नहीं है।

रीना देवी और उसके बाद के मामलों में स्थापित सिद्धांत अपीलकर्ता के दावे का समर्थन नहीं करते हैं, जो कि विसंगतियों और समर्थित साक्ष्य की कमी के कारण हैं।

उपरोक्त परिस्थितियों के आधार पर अपीलकर्ता का फर्दबयान और हलफनामा प्रथम द्रष्ट्या वाद को साबित करने मे असफल रहा है।

अतः इस अपील को खारिज किया जाता है क्योंकि अपीलकर्ता ने रेलवे दावा न्यायधिकरण के समक्ष अपने दावे की स्वीकार्यता को साबित नहीं किया है।

पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकार में

विविध अपील सं.606/2014

==========

रामा शंकर पाठक, पुत्र-श्री श्याम सुंदर पाठक निवासी गाँव-कदमकुआँ, नाला रोड, आनंद साओ की ठाकुरबाड़ी, थाना-कदमकुआँ, जिला-पटना

.... अपीलार्थी

बनाम

भारत संघ के द्वारा, महाप्रबंधक पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर।

.... प्रतिवादी

==========

उपस्थितिः

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री अनंत कुमार-1,

रेलवे/यूओआई के अधिवक्ता : श्री अभय शंकर झा, सी.जी.सी

: श्री हृषिकेश, अधिवक्ता, श्री ए.एस.झा के जे.सी.

==========

कोरमःमाननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेंद्र सिंह

मौखिक निर्णय

तारीखः31-01-2024

1. अपीलार्थी और प्रत्यर्थी/रेलवे की ओर से उपस्थित विद्वान वकीलों को सुना।

2. दावा आवेदन सं. OA00101/2003 में रेलवे दावा न्यायाधिकरण, पटना पीठ के विद्वान सदस्य (तकनीकी) डॉ. पी. रे द्वारा पारित दिनांकित 29.04.2014 निर्णय

के खिलाफ तत्काल अपील दायर की गई है। जिसके द्वारा अपीलार्थी का दावा आवेदन खारिज कर दिया गया है।

3. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री अनंत कुमार प्रस्तुत करते हैं कि 10.03.2003 को अपीलार्थी 555 अप मोकामा-दानापुर पैसेंजर ट्रेन से पटना साहिब रेलवे स्टेशन से पटना जंक्शन जा रहा था। अपीलार्थी ने अपनी यात्रा शुरू करने से पहले एक वैध रेलवे टिकट खरीदा था और उसके बाद, पटना साहिब रेलवे स्टेशन पर उक्त ट्रेन में सवार हुए और चढ़ने के बाद ट्रेन खुल गई लेकिन दुर्भाग्य से डिब्बे के अंदर भारी भीड़ होने के कारण अपीलार्थी पटना साहिब रेलवे स्टेशन के बाहरी सिग्नल के पास चलती ट्रेन से नीचे गिर गया, जिसके परिणामस्वरूप उसे गंभीर चोटें आईं और उक्त अप्रिय दुर्घटना में उसने अपने दोनों पैर खो दिए। अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि दुर्घटना के बाद, अपीलार्थी को इलाज के लिए एन.एम.सी.एच., पटना लाया गया और दुर्घटना के मामले की सूचना आलमगंज थाना और बाद में **2003 का सानहा सं. 620 जी.आर.पी.एस. पटना साहिब में दर्ज किया गया**। इसके अलावा निवेदन यह है कि दुर्घटना के समय, अपीलकर्ता 555 अप मोकामा-दानापुर पैसेंजर ट्रेन में यात्रा करने वाला एक *प्रामाणिक* यात्री था और दुर्घटना के बाद वह शारीरिक रूप से विकलांग हो गया और वर्तमान में, वह दूसरों पर निर्भर है और एक *प्रामाणिक* यात्री के रूप में अपनी यात्रा के समर्थन में, न्यायाधिकरण के समक्ष पर्याप्त प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए और अपीलकर्ता ने खुद को एक गवाह के रूप में पेश किया और उसका परीक्षण ए. डब्ल्यू. 1 के रूप में किया गया और अपनी मौखिक गवाही के अलावा उन्होंने छह दस्तावेज़ प्रस्तुत किए और उन्हें ए1 से ए6 के प्रदर्श के रूप में चिह्नित करवाया। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी के दावे का खंडन करने के लिए रेलवे न्यायाधिकरण के समक्ष कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, और

रेलवे न्यायाधिकरण ने तकनीकी आधार पर न्यायिक दिमाग के उचित अनुप्रयोग के बिना अपीलार्थी का दावा आवेदन को खारिज कर दिया।

4. उपरोक्त प्रस्तुतियों के समर्थन में अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने ***(2019) 3 सर्वोच्च न्यायालय के मामलों 572 में प्रतिवेदित मामले में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है।***

5. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी/रेलवे की ओर से उपस्थित विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि अपीलकर्ता रेलवे दावा न्यायाधिकरण के समक्ष अपने दावे की स्थिरता को साबित करने में विफल रहा और वह यह साबित करने के लिए अपना प्रारंभिक दायित्व नहीं उठा सकता था कि उसे चलती ट्रेन से गिरने के कारण अपने पैरों में चोट लगी है और अपीलार्थी के *फरदबेयान* को छोड़कर उसकी याचिका को साबित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि वह ट्रेन में यात्रा कर रहा था और उस दौरान वह गिर गया और परिणामस्वरूप उसे चोटें आईं और इसके अलावा, अपीलार्थी का मामला *भारत संघ बनाम रीना देवी (ऊपर) के मामले में,* माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के दायरे में नहीं आता है।

6. प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील ने रखा है ***कामुकायी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 2023 एसएस सी ऑनलाईन एस सी 642*** में प्रतिवेदित मामले में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है और उन्होंने उक्त निर्णय के पैराग्राफ सं. 18 और 19 को संदर्भित किया है। जिससे पता चलता है कि ***रीना देवी (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून*** का उक्त निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुसरण किया गया।

7. दोनों पक्षों को सुना और रेलवे दावा न्यायाधिकरण के मामले के अभिलेख पर उपलब्ध विवादित निर्णय और अन्य सामग्रियों का अध्ययन किया। विद्वान रेलवे दावा

न्यायाधिकरण ने चार मुद्दे तैयार किए और मुद्दों सं.-03 का जवाब दिया जो प्रकृति में औपचारिक है, अपीलार्थी के पक्ष में लेकिन अपीलार्थी के खिलाफ बाकी मुद्दों का जवाब दिया और परिणामस्वरूप, अपीलार्थी के दावे के आवेदन को खारिज कर दिया। दोनों पक्षों की दलीलों से सामने आने वाले प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखने के बाद और उपरोक्त प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, निर्धारण के लिए मुख्य प्रश्न यह है किः-

(i) क्या अपीलार्थी रेलवे दावा न्यायाधिकरण के समक्ष अपने दावे के मामले की स्थिरता साबित करने में सफल रहा या नहीं?

8. *रीना देवी (उपरोक्त)* के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार, इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रारंभिक दायित्व दावेदार पर होगा, जिसे केवल प्रासंगिक तथ्यों का एक हलफनामा दाखिल करके ही हटाया जा सकता है और उसके बाद, दायित्व रेलवे पर स्थानांतरित हो जाएगा और उसके बाद इस मुद्दे पर दिखाए गए तथ्यों या उपस्थित परिस्थितियों पर निर्णय लिया जा सकता है।

9. यदि हम इस उद्धृत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हैं तो यह स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया यह दिखाने के लिए कुछ उपस्थित परिस्थितियाँ होनी चाहिए कि पीड़ित ट्रेन में यात्रा कर रहा था और उस दौरान उसे यात्रा के दौरान किसी दुर्घटना के कारण चोट लगी थी।

10. तत्काल मामले में, अपीलार्थी ने रेलवे दावा न्यायाधिकरण के समक्ष अपनी दावा याचिका में खुलासा किया कि कथित दुर्घटना 10.03.2003 को हुई जब वह 555 अप मोकामा-दानापुर पैसेंजर ट्रेन से पटना साहिब रेलवे स्टेशन से पटना जंक्शन जा रहा था। लेकिन न्यायाधिकरण के समक्ष उन्होंने प्रतिपरीक्षण में कहा कि वह पटना शहर से पटना जंक्शन जा रहे थे और उसी तारीख को उन्होंने अदालत के प्रश्न में दोहराया था। अतः, दुर्घटना की तिथि के संबंध में अपीलार्थी की दावा याचिका के कथन और उसके

बयान के बीच एक गंभीर विरोधाभास दिखाई देता है। अपीलार्थी ने रेलवे दावा न्यायाधिकरण के समक्ष प्रतिपरीक्षण में कहा कि दुर्घटना के बाद सरकारी रेलवे पुलिस (जी.आर.पी.) के कर्मी पहुंचे। लेकिन इस संबंध में दावेदार द्वारा कोई सबूत नहीं दिया गया था, बल्कि अनुलग्नक-1 के अनुसार, उसका *फरदबेयान* आलमगंज पुलिस स्टेशन के स.अ.नि., आई. रामेश्वर राम द्वारा दर्ज किया गया था, इस *फरदबेयान* को छोड़कर, जो सामान्य थाना के एक पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया था, अपीलार्थी के प्रमाणित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि चलती ट्रेन से गिरने के कारण उनके पैरों में चोटें आई हैं। अपीलार्थी श्याम सुंदर पाठक और अमिताभ त्रिवेदी नामक दो व्यक्तियों को पेश नहीं कर सका, जिनका विवरण उनके *फरदबेयान* में दिया गया था। अपीलार्थी द्वारा अपना *फरदबेयान* दर्ज करने के बाद संबंधित पुलिस थाने की कार्रवाई का परिणाम प्रस्तुत करने का भी कोई प्रयास नहीं किया गया था। अपीलार्थी कथित दुर्घटना के बाद रेलवे विभाग के आधिकारिक दस्तावेजों में प्रविष्टि दिखाने वाला रेलवे विभाग से संबंधित कोई प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकता था। अपीलार्थी उस स्थान को साबित नहीं कर सकता था जहाँ वह चलती ट्रेन से गिर गया था।

11. उपरोक्त संदर्भित मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत अपीलार्थी की मदद नहीं करते हैं क्योंकि तत्काल मामले के तथ्य और परिस्थितियां काफी अलग हैं और अपीलार्थी का *फरदबेयान* और उसका हलफनामा, जो केवल रेलवे न्यायाधिकरण के समक्ष उपलब्ध था, प्रथम दृष्टया यह दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं है कि अपीलार्थी को चलती ट्रेन से गिरने के कारण चोटें आईं और ऊपर चर्चा की गई उपस्थित परिस्थितियां भी रेलवे विभाग से मुआवजे के लिए अपीलार्थी के पक्ष में मामला बनाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। तदनुसार, अपीलार्थी रेल विभाग से मुआवजे के लिए रेलवे दावा न्यायाधिकरण के समक्ष अपने मामले की स्थिरता को साबित करने में विफल रहा।

अतः उपरोक्त प्रश्न अपीलार्थी के विरुद्ध निर्धारित किया जाता है।

12. इस न्यायालय को आक्षेपित निर्णय में कोई अवैधता नहीं मिलती है और इस अपील में कोई योग्यता नहीं है, इसलिए इसे खारिज कर दिया जाता है।

(शैलेंद्र सिंह, न्यायमूर्ति)

मायनाज़/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।